उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

प्रेस विज्ञप्ति

जनवरी 14, 2023

उ.प्र. रेरा में परियोजना की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट 15 जनवरी तक अपलोड करें

भू-सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 14(1)(d) के अन्तर्गत उ.प्र. रेरा में पंजीकृत परियोजनाओं के लिए त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट अपलोड करने का प्राविधान है। उत्तर प्रदेश रेरा में अक्टूबर से दिसंबर 2022 तिमाही के लिए 'त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट' अपलोड करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2023 निर्धारित की गई है। घर खरीदारों की सुविधा हेतु उ.प्र. रेरा प्रोमोटर्स को उनकी परियोजनाओं की वास्तविक निर्माण स्थिति उपलब्ध कराने के लिए रेरा की वेबसाईट (www.up-rera.in) पर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) अपलोड़ करने की सुविधा प्रदान करता है।

परियोजना की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट अपलोड करने हेतु प्रोमोटर्स को प्रत्येक तिमाही समाप्त होने के पूर्व प्राधिकरण से उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी पर अनुस्मारक प्रेषित किए जाते है। इस प्रकार सभी प्रोमोटर्स से अपेक्षा की जाती हैं कि निर्धारित तिथि तक सभी प्रोमोटर अपनी पंजीकृत परियोजनाओं की क्यूपीआर रेरा वेबसाईट पर अपलोड़ करें। इस तिथि के बाद प्रोमोटर को रेरा की वेबसाईट पर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट अपलोड़ करने हेतु विलम्ब शुल्क देना होगा।

उ.प्र. रेरा की वेबसाईट पर क्यूपीआर की उपलब्धता से रियल एस्टेट सेक्टर के सबसे बड़े हिस्सेदार, घर खरीदार, को प्रति तिमाही परियोजना की वास्तविक निर्माण स्थिति और विकास का पता चलता रहता है। प्रोमोटर को प्रदान की गई इस जिम्मेदारी का उद्देश्य परियोजना के निर्माण प्रगति व विकास में पूर्ण पारदर्शिता लाना हैं और जिससे घर खरीदार परियोजना में निवेश करने के सम्बन्ध में विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम हो सके। इसमें प्रोमोटर्स को परियोजना के टावर, फ्लोर, परिष्करण/ फिनिशिंग, आंतरिक बुनियादी ढांचे के निर्माण, कॉमन फेसिलिटीज के विकास और अन्य सुविधाओं की वास्तविक निर्माण स्थिति की फोटो उ.प्र. रेरा वेबसाइट पर त्रैमासिक रिपोर्ट के साथ अपलोड़ करनी होती हैं जो सार्वजनिक तौर पर सबके लिए उपलब्ध होती है।

उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर के समुचित नियमन एवं विकास हेतु उ.प्र. रेरा परियोजनाओं के पंजीकरण के साथ उनके नियमित निर्माण प्रगति की जानकारी हेतु क्यूपीआर या त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध कराता हैं जिससे घर खरीदारों सहित प्राधिकरण को भी परियोजना की वास्तविक निर्माण स्थिति ज्ञात हो सके और आवश्यकतानुसार प्राधिकरण परियोजना पूर्ण कराने हेतु उचित उपाय कर सके।

राजेश कुमार त्यागी

सचिव